संघवाद

इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न – उत्तर सहित। पहले खुद हल करने की कोशिश करो, फिर उत्तर मिलाओ।

अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपिक से)

» संघवाद क्या है?

प्रश्न 1 (आसान). संघवाद में सरकारों के कितने स्तर होते हैं?
उत्तर – दो या अधिक स्तर

प्रश्न 2 (आसान). क्या संघवाद में केंद्र सरकार राज्य सरकारों से हमेशा ऊपर होती है?
उत्तर – नहीं, दोनों अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती हैं।

प्रश्न 3 (मध्यम). भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बँटवारा कौन तय करता है?
उत्तर – लिखित संविधान

प्रश्न 4 (कठिन). अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी मुद्दे पर टकराव हो जाए तो उसका समाधान कौन करता है?
उत्तर – एक स्वतंत्र न्यायपालिका (जैसे सुप्रीम कोर्ट)

» भारतीय संविधान में संघवाद की अवधारणा

प्रश्न 5 (आसान). भारतीय संविधान में 'फेडरेशन' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है?
उत्तर – भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए।

प्रश्न 6 (आसान). भारतीय संविधान भारत को राज्यों का _____ कहता है।
उत्तर – यूनियन (संघ)

प्रश्न 7 (मध्यम). भारतीय संविधान में 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किस बात पर बल देता है - विविधता पर या एकता पर? स्पष्ट करें।
उत्तर – यह विविधता को स्वीकार करते हुए भी, मुख्यतः भारत की 'एकता' पर बल देता है। इसका अर्थ है कि राज्य भले ही विविध हों, पर वे भारत से अलग नहीं हो सकते, वे एक अविभाज्य 'संघ' का हिस्सा हैं।

प्रश्न 8 (कठिन). आजादी से पहले भारत में 'प्रांतीय सरकारों को ज़्यादा अधिकार' देने का विचार क्यों किया गया था और विभाजन के बाद यह क्यों बदल गया?
उत्तर – आजादी से पहले, 'मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन' और 'क्षेत्रीय विविधताओं' को देखते हुए कुछ हद तक क्षेत्रीय सरकारों को ज़्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव था ताकि सबको सत्ता में 'सहभागिता' मिले। लेकिन, 'भारत के विभाजन का निर्णय होने पर', संविधान सभा ने 'केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता' के सिद्धांत पर आधारित सरकार बनाने का निर्णय लिया, ताकि देश की अखंडता बनी रहे और कोई और विभाजन न हो।

» केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन

प्रश्न 9 (आसान). रक्षा (Defense) किस सूची का विषय है?
उत्तर – संघ सूची

प्रश्न 10 (आसान). पुलिस (Police) किस सूची का विषय है?
उत्तर – राज्य सूची

प्रश्न 11 (मध्यम). शिक्षा (Education) किस सूची में शामिल है? इस पर कौन कानून बना सकता है?
उत्तर – शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

प्रश्न 12 (कठिन). अगर केंद्र और राज्य सरकार, दोनों किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते हैं और उनमें टकराव होता है, तो किसका कानून मान्य होगा?
उत्तर – अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाते हैं और उनमें टकराव होता है, तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा।

» भारतीय संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्रीय सरकार

प्रश्न 13 (आसान). कौन-सा अनुच्छेद संसद को राज्य की सीमाओं में बदलाव करने की शक्ति देता है?
उत्तर – अनुच्छेद 3

प्रश्न 14 (आसान). आपातकाल के दौरान हमारी संघीय व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था में बदल जाती है?
उत्तर – एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में

प्रश्न 15 (मध्यम). वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली क्यों है? एक मुख्य कारण बताइए।
उत्तर – केंद्र सरकार का आय के प्रमुख संसाधनों पर नियंत्रण होता है, जिससे राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं।

प्रश्न 16 (कठिन). राज्यपाल की दो प्रमुख भूमिकाएँ बताइए जो केंद्र को राज्य पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं।
उत्तर – राज्यपाल राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।

» भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के कारण

प्रश्न 17 (आसान). केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक कारण क्या है?
उत्तर – शक्तियों और स्वायत्तता की मांग।

प्रश्न 18 (आसान). किसकी भूमिका को लेकर केंद्र-राज्य विवाद होता है, जिसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है?
उत्तर – राज्यपाल की भूमिका।

प्रश्न 19 (मध्यम). राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग केंद्र-राज्य तनाव का कारण क्यों बनता है?
उत्तर – क्योंकि राज्य सरकारें आरोप लगाती हैं कि केंद्र इसका उपयोग विरोधी सरकारों को अस्थिर करने के लिए करता है, भले ही 'constitutional machinery' सही से काम कर रही हो।

प्रश्न 20 (कठिन). भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों और स्वायत्तता की मांग केंद्र और राज्यों के बीच तनाव कैसे पैदा करती है? समझाइए।
उत्तर – राज्य सरकारें अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'more control over resources and decision-making' चाहती हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन या कानूनी अधिकार नहीं देता, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं और उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जो तनाव का कारण बनता है।

» केंद्र-राज्य संबंध और स्वायत्तता की मांग

प्रश्न 21 (आसान). आजादी के शुरुआती दशकों में केंद्र-राज्य संबंध कैसे थे?
उत्तर – आजादी के शुरुआती दशकों में, केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व होने के कारण केंद्र-राज्य संबंध 'peaceful and normal' थे।

प्रश्न 22 (आसान). 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में क्या बड़ा बदलाव आया?
उत्तर – 1990 के दशक में 'coalition politics' – गठबंधन राजनीति का युग शुरू हुआ और राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा।

प्रश्न 23 (मध्यम). वित्तीय स्वायत्तता की मांग का क्या अर्थ है?
उत्तर – वित्तीय स्वायत्तता की मांग का अर्थ है कि राज्यों के पास 'independent sources of revenue' – आय के अपने स्वतंत्र साधन होने चाहिए और 'more control over their resources' – अपने संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए।

प्रश्न 24 (कठिन). राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग क्यों बढ़ी?
उत्तर – राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग इसलिए बढ़ी क्योंकि 'mid-1960s' – 1960 के दशक के मध्य से केंद्र और राज्यों में 'different parties were in power' – अलग-अलग दल सत्ता में आने लगे, जिससे राज्यों ने केंद्र के 'undesirable interferences' – अवांछित हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया और अपनी 'more power and autonomy' – ज़्यादा शक्ति और स्वायत्तता की मांग की।

» राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

प्रश्न 25 (आसान). राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? A) राज्य की जनता B) मुख्यमंत्री C) केंद्र सरकार D) सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर – C) केंद्र सरकार

प्रश्न 26 (आसान). राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? A) अनुच्छेद 352 B) अनुच्छेद 356 C) अनुच्छेद 360 D) अनुच्छेद 370
उत्तर – B) अनुच्छेद 356

प्रश्न 27 (मध्यम). राज्यपाल की भूमिका अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय क्यों रही है? संक्षेप में बताएं।
उत्तर – राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं। वे केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और उनके निर्णय अक्सर राज्य सरकार के मामलों में केंद्र के हस्तक्षेप के रूप में देखे जाते हैं, खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दल सत्ता में हों।

प्रश्न 28 (कठिन). सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने में क्या भूमिका निभाई है? उदाहरण सहित समझाएँ।
उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की न्यायिक जाँच की जा सकती है। 'एस.आर. बोम्मई वाद' (S.R. Bommai case) जैसे मामलों में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता, और अगर राष्ट्रपति शासन गलत पाया जाता है तो राज्य सरकार को बहाल किया जा सकता है। इसने केंद्र की मनमानी पर रोक लगाई है।

» नवीन राज्यों की मांग और अंतर्राज्यीय विवाद

प्रश्न 29 (आसान). भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत किस वर्ष हुई?
उत्तर – 1956

प्रश्न 30 (आसान). वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा नया राज्य बना?
उत्तर – उत्तराखंड

प्रश्न 31 (मध्यम). दो ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनके बीच सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है?
उत्तर – महाराष्ट्र और कर्नाटक (बेलगाम विवाद), या पंजाब और हरियाणा (चंडीगढ़ विवाद)

प्रश्न 32 (कठिन). अंतर्राज्यीय विवादों में न्यायपालिका की भूमिका के बावजूद, इन विवादों का सर्वोत्तम समाधान 'केवल विचार-विमर्श और पारस्परिक विश्वास' पर ही क्यों आधारित हो सकता है?
उत्तर – क्योंकि इन विवादों का स्वरूप केवल कानूनी नहीं होता, बल्कि इनमें राजनीतिक और भावनात्मक पहलू भी होते हैं, जिन्हें केवल कानूनी फैसले से पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता। आपसी समझ और विश्वास ही दीर्घकालिक समाधान देता है।

» कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान

प्रश्न 33 (आसान). भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधानों' से संबंधित है?
उत्तर – अनुच्छेद 371 और उसके बाद के अनुच्छेद (जैसे 371A से 371J)।

प्रश्न 34 (आसान). किन प्रकार के राज्यों के लिए ऐसे विशिष्ट प्रावधान बनाए गए हैं?
उत्तर – पूर्वोत्तर के राज्य (जैसे नागालैंड, मिजोरम), और कुछ पहाड़ी राज्य (जैसे हिमाचल प्रदेश)।

प्रश्न 35 (मध्यम). 'विशिष्ट प्रावधानों' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर – इन राज्यों की अनूठी सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक विकास की जरूरतों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना।

प्रश्न 36 (कठिन). अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए क्या विशेष प्रावधान करता है?
उत्तर – अनुच्छेद 371A नागालैंड की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, पारंपरिक कानूनों और न्यायिक प्रक्रियाओं, भूमि और उसके संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण को संसदीय कानूनों से छूट देता है, जब तक कि राज्य विधानसभा निर्णय न ले।

» जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370)

प्रश्न 37 (आसान). जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला था?
उत्तर – अनुच्छेद 370

प्रश्न 38 (आसान). किस साल जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया?
उत्तर – 2019

प्रश्न 39 (मध्यम). अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को केंद्र सूची के कौन से विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती थी?
उत्तर – संघ और समवर्ती सूची में उल्लेखित मामलों पर।

प्रश्न 40 (कठिन). जम्मू और कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए महाराजा हरि सिंह को किन परिस्थितियों ने मजबूर किया?
उत्तर – अक्तूबर 1947 में पाकिस्तान द्वारा कबायली घुसपैठियों के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने के प्रयासों ने महाराजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगने और भारतीय संघ में विलय करने के लिए मजबूर किया।

हल किए हुए उदाहरण (step-by-step)

उदाहरण 1. भारत में संघवाद कैसे काम करता है, उदाहरण देकर समझाओ।

› पहला स्तर: केंद्र सरकार। यह पूरे देश के लिए फैसले लेती है, जैसे 'defense, currency, foreign affairs' (रक्षा, मुद्रा, विदेश मामले)। इसका मतलब है कि पूरा भारत एक देश है, और केंद्र सरकार हमें एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है।

› दूसरा स्तर: राज्य सरकारें। ये अपने-अपने राज्य के लिए फैसले लेती हैं, जैसे 'education, health, law and order' (शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था)। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाएगी, और तमिलनाडु की सरकार सिर्फ तमिलनाडु के लिए।

› शक्तियों का बँटवारा: हमारे संविधान में साफ-साफ लिखा है 'detailed framework of dual governance is usually present in a written constitution' - कि किसि सरकार को कौन से काम करने हैं। इसी लखिति संवधिान के कारण केंद्र और राज्यों के बीच टकराव कम होता है।

› न्यायपालिका की भूमिका: अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा होता है, तो 'an independent judiciary resolves the conflicts' - हमारी न्यायपालकिा, यानी सुप्रीम कोर्ट, यह तय करती है कि कौन सही है। वह किसी एक सरकार का पक्ष नहीं लेती, बल्कि संविधान के हिसाब से फैसला करती है।

उत्तर – इस तरह, भारत में केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वायत्त होते हुए भी मिलकर काम करती हैं, जिससे देश की विविधता बनी रहती है और एकता भी कायम रहती है।

उदाहरण 2. भारतीय संविधान में 'फेडरेशन' की जगह 'यूनियन' शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है?

› पहला कदम यह समझना है कि 'फेडरेशन' शब्द में राज्यों को अलग होने की थोड़ी आज़ादी हो सकती है, जैसा कुछ दूसरे देशों में होता है।

› दूसरा, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विभाजन के बाद की स्थिति को देखना ज़रूरी है, जहाँ एकता सबसे ऊपर थी।

› तीसरा, संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करना चाहा कि भारत एक अखंड और अविभाज्य देश रहे, जहाँ कोई भी राज्य अलग होने की बात न कर सके।

› इसलिए, 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया जो राज्यों के संघ के रूप में भारत की अविभाज्यता और एकता पर जोर देता है।

उत्तर – भारतीय संविधान में 'यूनियन' शब्द का प्रयोग भारत की एकता और अखंडता पर बल देने के लिए किया गया है, यह दर्शाता है कि भारत राज्यों का एक अविभाज्य संघ है, और कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता।

उदाहरण 3. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटा गया है? उदाहरण देकर समझाएं।

› पहला, हम शक्तियों के विभाजन को 'तीन सूचियों' और 'अवशिष्ट शक्तियों' के माध्यम से समझाएंगे।

› संघ सूची (Union List): 'इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है।' जैसे 'रक्षा' (Defense), 'वदिश मामले' (Foreign Affairs), 'बैंकगि' (Banking), 'रेलवे' (Railways) और 'मुद्रा' (Currency)। ये वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए।

› राज्य सूची (State List): 'इसमें वे विषय आते हैं जिन पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं।' जैसे 'पुलिस' (Police), 'जेल' (Jail), 'स्थानीय शासन' (Local Government), 'कृषि' (Agriculture) और 'सार्वजनकि स्वास्थ्य' (Public Health)। ये स्थानीय ज़रूरतें और व्यवस्थाएं होती हैं।

› समवर्ती सूची (Concurrent List): 'इसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं।' जैसे 'शिक्षा' (Education), 'वन' (Forests), 'मज़दूर संघ' (Trade Unions), और 'गोद लेना' (Adoption)। अगर किसी विषय पर दोनों कानून बना दें और उनमें टकराव हो जाए, तो 'The law made by the Central Government will prevail.' यानी केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा।

› अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers): 'ये वे शक्तियाँ हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है।' यानी जो विषय तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं आते, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ 'केंद्र सरकार' (Central Government) के पास होता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है 'साइबर कानून' (Cyber Laws), क्योंकि जब संविधान बना था तब इंटरनेट नहीं था।

› इस तरह, संविधान ने बहुत स्पष्ट रूप से 'Division of powers' यानी शक्तियों का बंटवारा किया है ताकि सुचारु रूप से शासन चल सके।

उत्तर – भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से बांटा गया है, ताकि शासन सुचारु रूप से चल सके और सभी की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रहें।

उदाहरण 4. भारतीय संविधान के उन प्रमुख प्रावधानों को पहचानिए जो केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले अधिक सशक्त बनाते हैं।

› पहला प्रावधान है 'Control over the existence and geographical boundaries of a state' – किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं पर संसद का नियंत्रण। संविधान के 'Article 3' के तहत, संसद किसी राज्य का क्षेत्र कम या ज्यादा कर सकती है, या दो राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है।

› दूसरा प्रावधान है 'Emergency provisions' – आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के दौरान, 'our federal system turns into a highly centralized system' – हमारी संघीय व्यवस्था एक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल जाती है और केंद्र सरकार को राज्यों के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है।

› तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 'Effective financial powers and responsibilities of the central government' – केंद्र सरकार की प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ। 'Control over major sources of income' यानी आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण होता है, जिससे राज्य अक्सर अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर निर्भर रहते हैं।

› चौथा, 'The state Governor has the power to recommend the removal of the state government' –

राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सके। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है।

› और आखिर में, 'All India Services' – अखिल भारतीय सेवाएँ। 'Officers selected in these services work in the administration of the states' – इन सेवाओं में चयनति पदाधकिारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं, पर उन पर नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है।

उत्तर – भारतीय संविधान केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले अधिक सशक्त बनाता है, जिसके प्रमुख प्रावधानों में राज्यों की सीमाओं पर संसद का नियंत्रण, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र की प्रभावी वित्तीय शक्तियाँ, राज्यपाल की भूमिका और अखिल भारतीय सेवाएँ शामिल हैं।

उदाहरण 5. भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के कोई दो प्रमुख कारण बताएं और संक्षेप में समझाएं।

› पहला कारण है 'शक्तियों और स्वायत्तता की मांग' – राज्य सरकारें अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां चाहती हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और केंद्र पर निर्भरता कम हो।

› दूसरा कारण है 'राज्यपाल की भूमिका' – केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल पर अक्सर राज्य सरकारों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वह केंद्र के 'agent' के रूप में काम करते हैं, राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकार हो।

उत्तर – शक्तियों और स्वायत्तता की मांग तथा राज्यपाल की भूमिका भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र-राज्य तनाव के दो प्रमुख कारण हैं।

उदाहरण 6. स्वायत्तता की मांग के किन्हीं तीन मुख्य पहलुओं का वर्णन करें।

› पहला पहलू: 'Financial Autonomy' – वित्तीय स्वायत्तता। राज्य चाहते हैं कि उनके पास 'independent sources of revenue' – आय के अपने स्वतंत्र साधन हों और 'more control over their resources' – अपने संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण हो।

› दूसरा पहलू: 'Administrative Autonomy' – प्रशासनिक स्वायत्तता। राज्य 'resent central control over their administrative machinery' – केंद्रीय नियंत्रण से नाराज़ रहते हैं और चाहते हैं कि प्रशासनकि शक्तियों पर उनका ज़्यादा अधिकार हो।

› तीसरा पहलू: 'Cultural and Linguistic Autonomy' – सांस्कृतिक और भाषाई स्वायत्तता। कुछ राज्य अपनी 'distinct culture and language' – अपनी अलग संस्कृति और भाषा को बचाना चाहते हैं, जैसे तमलिनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा के प्रोत्साहन की मांग। वे महसूस करते हैं कि 'Hindi-speaking areas dominate others' – हिंदी भाषी क्षेत्रों का दूसरों पर वर्चस्व है।

उत्तर – स्वायत्तता की मांग के तीन मुख्य पहलू वित्तीय, प्रशासनिक और सांस्कृतिक/भाषाई स्वायत्तता हैं, जहाँ राज्य अपने लिए ज़्यादा शक्ति और नियंत्रण चाहते हैं।

उदाहरण 7. मान लीजिए कि किसी राज्य 'क' में एक ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ कोई भी दल बहुमत साबित नहीं कर पाता और राज्य का शासन संवैधानिक रूप से चलाना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या सिफारिश कर सकता है और आगे क्या प्रक्रिया होगी?

› पहला कदम: राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे, जिसमें वे बताएंगे कि राज्य 'क' में संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है।

› दूसरा कदम: राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राज्य 'क' में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा करेंगे।

› तीसरा कदम: राष्ट्रपति की इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से निर्धारित समय के भीतर (आमतौर पर 2 महीने) अनुमोदित करवाना होगा।

› चौथा कदम: अगर संसद द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो राज्य 'क' की विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाएगी और राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथों में चला जाएगा, जो राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएगी।

उत्तर – ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेगा, और अगर राष्ट्रपति सहमत होते हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसे संसद की मंजूरी ज़रूरी होगी।

उदाहरण 8. कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच एक प्रमुख विवाद है और यह किस प्रकार के अंतर्राज्यीय विवाद का उदाहरण है?

› पहला कदम है विवाद के पक्षकारों को पहचानना। यहाँ प्रश्न में स्पष्ट है कि 'Kaveri jal vivaad' की बात हो रही है, और यह 'Tamil Nadu aur Karnataka' के बीच है।

› दूसरा कदम है विवाद का प्रकार समझना। क्योंकि यह नदी के 'jal ke bantware' यानी पानी के बँटवारे से संबंधित है, यह एक 'nadi jal vivaad' का उदाहरण है।

› अब, हम जवाब को संक्षेप में रखेंगे।

उत्तर – कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। यह नदी जल विवाद का उदाहरण है।

उदाहरण 9. भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद 'कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान' से संबंधित हैं और ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

› सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि हमारा संविधान 'diversity' यानी विविधता को बहुत महत्व देता है।

› दूसरा, कुछ राज्य, जैसे 'पूर्वोत्तर के राज्य' (North-Eastern states) या 'हिमाचल प्रदेश' (Himachal Pradesh) जैसी 'hilly regions' (पहाड़ी इलाके), इनकी 'cultural identity' (सांस्कृतकि पहचान) और 'economic development needs' (आर्थिक विकास की जरूरतें) बाकी राज्यों से अलग हैं।

› तीसरा, 'Article 371' और उसके बाद के 'Articles 371A to 371J' (अनुच्छेद 371A से 371J तक) इन 'specific needs' यानी वशिष्टि जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं।

› उदाहरण के लिए, 'नागालैंड' (Nagaland) के लिए 'Article 371A' में प्रावधान हैं ताकि उनकी 'religious or social practices' (धार्मकि या सामाजकि प्रथाएं) और 'customary laws' (पारंपरकि कानून) संरक्षति रहें।

› तो इन प्रावधानों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये राज्य 'historically and socially unique' (ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अनूठे) हैं, और उन्हें 'equal opportunity' (समान अवसर) और 'preservation of their identity' (अपनी पहचान के संरक्षण) के लिए विशेष 'legal and administrative framework' (कानूनी और प्रशासनिक ढाँचे) की जरूरत है।

उत्तर – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 और उसके बाद के अनुच्छेद (जैसे 371A से 371J) कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित हैं। इन प्रावधानों की आवश्यकता इन राज्यों की अनूठी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए पड़ी, ताकि उनकी पहचान और विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

उदाहरण 10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को कौन-कौन सी प्रमुख स्वायत्तताएँ प्राप्त थीं, और 2019 में इसमें क्या बदलाव आया?

› स्टेप 1: पहले, 'अनुच्छेद 370' के कारण जम्मू और कश्मीर को बहुत 'अधिक स्वायत्तता' मिली थी। इसका मतलब था कि भारत की संसद द्वारा बनाए गए 'संघ और समवर्ती सूची' के कई कानून जम्मू-कश्मीर में 'राज्य की सहमति' के बिना लागू नहीं हो सकते थे।

› स्टेप 2: 'जम्मू और कश्मीर' का अपना 'अलग संविधान' और 'झंडा' था। 'केंद्र सरकार' के पास रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे कुछ 'सीमित शक्तियाँ' ही थीं।

› स्टेप 3: 'अनुच्छेद 368' के तहत भारतीय संविधान में किए गए 'संशोधन' भी 'जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहमति' से ही वहां लागू होते थे। 'आंतरिक अशांति' के कारण 'आपातकाल' और 'वित्तीय आपातकाल' भी केंद्र सरकार सीधे नहीं लगा सकती थी।

› स्टेप 4: '2019' में, भारत सरकार ने 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019' लाकर 'अनुच्छेद 370' को 'निरसित' कर दिया।

› स्टेप 5: इस बदलाव के बाद, 'जम्मू और कश्मीर' राज्य को 'दो केंद्र शासित प्रदेशों' - 'जम्मू और कश्मीर' और 'लद्दाख' में 'विभाजित' कर दिया गया। अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों पर 'पूरी तरह से लागू' होते हैं, जैसे वे देश के बाकी हिस्सों पर होते हैं।

उत्तर – अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को सीमित केंद्रीय कानून, अलग संविधान और झंडा, तथा आंतरिक आपातकाल व वित्तीय आपातकाल न लगाने जैसी प्रमुख स्वायत्तताएँ प्राप्त थीं। 2019 में, अनुच्छेद 370 को निरसित कर दिया गया, और राज्य को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसके बाद

भारतीय संविधान के सभी प्रावधान उन पर पूरी तरह लागू होते हैं।

बोर्ड परीक्षा के लिए ख़ास

• संघवाद की परिभाषा और भारत में इसके 'मूल अवधरणाएँ' (मूल अवधारणाएं) को ध्यान से समझना, यह बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उदाहरणों के साथ समझाना महत्वपूर्ण है।

• यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत को 'राज्यों का संघ' क्यों कहा जाता है, 'फेडरेशन' क्यों नहीं। इसका उत्तर देते समय 'विविधता में एकता' और 'राज्यों की अविभाज्यता' पर ज़रूर ध्यान देना।

• यह विषय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर, विभिन्न सूचियों में शामिल विषयों के उदाहरण पूछे जाते हैं, या समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में क्या होता है, यह पूछा जाता है। इसे अच्छे से समझना।

• यह विषय बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 'भारतीय संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्रीय सरकार' पर सीधा प्रश्न आ सकता है, जिसमें आपको सभी प्रमुख प्रावधानों को विस्तार से समझाना होगा।

• अनुच्छेद 356, राज्यपाल की भूमिका, और सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अक्सर सीधे सवाल आते हैं। साथ ही, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका पर आलोचनात्मक विश्लेषण वाले प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

• नवीन राज्यों के गठन की प्रक्रिया और प्रमुख अंतर्राज्यीय विवादों (जैसे कावेरी जल विवाद) के कारणों तथा समाधान पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से समझ कर लिखना।

• संघवाद वाले अध्याय से 'कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान' पर अक्सर 'short notes' या 'reasoning based questions' पूछे जाते हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में। तो यह हिस्सा ध्यान से समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है।

• यह विषय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त स्वायत्तताओं, इसके निरसन की तारीख और इसके परिणामों (दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन) को बिंदुवार याद रखें। यह प्रश्न सीधे-सीधे 6 नंबर में आ सकता है।

एक नज़र में रिवीज़न

› दो स्तर की सरकारें, अपने क्षेत्र में स्वायत्त, लिखित संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बँटवारा।
› संविधान में 'यूनियन' शब्द: विविधता में एकता, राज्य अविभाज्य।
› शक्तियां 3 सूचियों (संघ, राज्य, समवर्ती) और अवशिष्ट में विभाजित।
› भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान।
› राज्यपाल की केंद्र-नियुक्त भूमिका; अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन; सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा।
› भाषाई राज्य पुनर्गठन, नए राज्यों की मांग, सीमा/नदी जल विवाद - संघवाद की चुनौतियाँ।
› संविधान के अनुच्छेद 371 व आगे, कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट प्रावधान।
› अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (निरसित 2019), अब 2 UTs.